बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-फ०क०-06-01/2023/783 पटना, दिनांक-23/06/23

प्रेषक,

संजय कुमार पंसारी, भा०प्र०से०,
निदेशक ।

सेवा में,

ई०मेल/स्पीडपोस्ट

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ।

विषयः- कृषि वर्ष 2023-24 के लिए फसल कटनी प्रयोगों का आयोजन एवं कार्य प्रणाली का प्रेषण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि विगत वर्षों की भांति कृषि वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न फसलों पर फसल कटनी प्रयोग हेतु गाँवों का चयन भारत सरकार द्वारा अनुशंसित प्रणाली के अनुसार सम-सम्भाविक पद्धति से किया गया है। फसल कटनी प्रयोगों के आयोजन संबंधी जिला सारांश एवं अंचल-सह-ग्राम सूची संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अपेक्षा है कि सर्वप्रथम जिला सारांश एवं अंचल-सह-ग्राम सूची में आवंटित प्रयोगों का मिलान कर लिया जाय तथा भिन्नता की स्थिति में उसके निराकरणार्थ दिनांक-30.06.2023 तक सूचित किया जाय।

3. आयोजन सूची/ग्राम सूची का जिला सारांश से मिलान करने के पश्चात् मौसम विशेष में फसल कटनी प्रारंभ होने के 1½ माह पूर्व प्रयोगकर्त्ता के पदनाम सहित कटनी प्रयोगों का आवंटन करते हुए अंचल-सह-ग्राम सूची प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी तथा जिला कृषि पदाधिकारी/जिला सहकारिता पदाधिकारी को लभ्य करा दें तथा उसकी एक प्रति निदेशालय को भेजें। पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग का आयोजन सूची राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के क्षेत्रीय प्रतिनिधि को भी उपलबध कराया जाना है। जिससे वे निरीक्षण के निमित्त प्रभेदवार प्रतिदर्श का चयन कर सकें। उल्लेखनीय है कि अगहनी धान का प्रतिदर्श चयन 7 अगस्त 2023 के पूर्व कर लिया जाना है। ईख फसल से संबंधित आयोजन सूची की एक प्रति संबंधित सहायक निदेशक(गन्ना) को भी उपलब्ध करा दें।

4. सहकारिता विभाग के ज्ञापांक-4989 दिनांक-08.06.2018 के अनुसार कृषि वर्ष 2018-19 से राज्य में बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू है। इसे ध्यान में रखकर मुख्य फसल अगहनी धान एवं गेहूँ के अतिरिक्त भदई मकई एवं रब्बी मकई तथा ईंख पर पूरे राज्य में पंचायत स्तरीय एवं शेष फसलों पर जिला स्तरीय फसल कटनी प्रयोग आयोजित किया गया है।

(ii) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक आच्छादित पंचायत के लिये पूर्व निर्धारित प्रक्रिया (प्रभेदवार गत वर्ष के आच्छादन के अनुपात में) के अनुसार अगहनी धान, गेहूँ, भदई मकई, रब्बी मकई एवं ईंख फसल पर 5-5 फसल कटनी प्रयोग का आयोजन किया जायेगा। यदि किसी राजस्व ग्राम में एक से अधिक पंचायत हो तो वैसी स्थिति में मात्र पाँच कटनी प्रयोग ही आयोजित एवं संपादित किये जायेंगे। जिसका उपज दर इस राजस्व गाँव के सभी पंचायतों के लिये मान्य होगा। वर्तमान प्रावधान के तहत फसल कटनी प्रयोग के लिये प्राधिकृत प्राथमिक अभिकर्ता पर

कार्यभार अधिक होने के कारण पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग के संपादन का दायित्व कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार को भी सौंपा गया है लेकिन प्रत्येक अंचल/प्रखंड में कम से कम 20 पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग नियमित प्राथमिक अभिकर्त्ता अर्थात् अंचल निरीक्षक/राजस्व अधिकारी (50%), प्रखंड कृषि पदाधिकारी (25%) एवं प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी (25%) को आवंटित किया जायेगा। इसमें इस बात की प्राथमिकता दी जायेगी कि यथासंभव प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक प्रयोग (प्रथम प्रयोग अनिवार्य) इन पर्वेक्षीय अभिकर्त्ताओं को अवश्य आवंटित हो जाय। शेष पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार के माध्यम से सम्पन्न कराया जाय ।

(iii) जिला/अंचल स्तरीय फसल कटनी प्रयोग के संपादन का दायित्व पूर्व की भाँति निम्नांकित रूप से उनके सम्मुख अंकित कर्मियों को सौंपा जाता है।

1. कुल आवंटित प्रयोगों का 25% - प्रखंड कृषि पदाधिकारी।
2. कुल आवंटित प्रयोगों का 25% - प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी।
3. कुल आवंटित प्रयोगों का 50% - अंचल निरीक्षक(राजस्व अधिकारी) ।

(iv) परिस्थिति विशेष में उपर्युक्त कार्यकर्ताओं में से किसी का अभाव हो जाय तो प्रशिक्षणोपरांत अन्य विभाग के प्रखण्ड/अंचल स्तर पर पदस्थापित पर्यवेक्षी पदाधिकारी तथा राजस्व कर्मचारी/जनसेवक को भी कटनी प्रयोगों के संपादन का दायित्व सौंपा जा सकता है। जूट, मेस्ता, अरहर, राई-सरसों एवं ईंख पर आयोजित फसल कटनी प्रयोग का संपादन कनीय क्षेत्रीय अन्वेषकों द्वारा किया जाना है परंतु कनीय क्षेत्रीय अन्वेषकों के सभी पद रिक्त रहने के कारण आयोजित कटनी प्रयोग को भी उपर्युक्त वर्णित कर्मियों को आवंटित किया जाय।

(v) <u>विभिन्न स्तर पर सम्पादित अनुसूचियों का संग्रह</u>- फसल कटनी प्रारंभ होने के एक माह पूर्व प्रयोगकर्त्ता प्रपत्र-क में प्लॉट का चयन करेंगे एवं 15 दिन पूर्व कृषक से संपर्क कर प्रपत्र-1 तैयार करेंगे। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी फसल कटनी प्रयोग की संभावित तिथि की सूची सभी अंचलों से प्राप्त कर अपने जिला के बेवसाइट पर अपलोड करेंगे एवं निदेशालय को इसकी सूची उपलब्ध करायेंगे।। फसल कटनी के दिन प्रपत्र-2 में हरा वजन तथा सुखवन (जहाँ लागू हो) के उपरांत प्रपत्र-3 में सूखा वजन दर्ज करेंगे। प्रयोगकर्त्ता फसल कटनी प्रयोग की प्रक्रिया <u>समाप्त होने के तीन दिनों</u> के अन्दर सभी संपादित अनुसूचियाँ प्रखण्ड कार्यालय/प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी को प्राप्त करायेंगे। प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी अपने प्रखंड के सभी पंचायतों की अनुसूचियों के परिनिरीक्षणोपरांत परिशिष्ट-2 तैयार कर CCE Portal पर अपलोडेड सभी डाटा को मिलान कर अनुमोदित (Approve) करेंगे तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर से जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निर्धारित तिथि तक प्रेषण के लिये उत्तरदायी होंगे। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी परिशिष्ट-2 के परिनिरीक्षणोपरांत परिशिष्ट-3 (निदेशालय द्वारा उपलब्ध Excel Sheet में) तैयार कर केवल परिशिष्ट-3(Excel Sheet में सॉफ्ट कॉपी) और हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी निदेशालय को उपलब्ध करायेगें।साथ ही परिशिष्ट-3 भेजने के पूर्व CCE Portal पर अपलोडेड सभी डाटा को मिलान कर अनुमोदित (Approve) करेंगे। विदित हो कि अनुमोदित (Approved) आंकड़ों को भारत सरकार एवं विभिन्न विभागो को API के माध्यम से साझा किया जाना है ।

(vi) बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत अधिसूचित फसलों के उपज दर के आँकड़े कटनी समाप्त होने के एक माह के अन्दर सहकारिता विभाग को प्रेषित किया जाना है। एतदर्थ आवश्यक है कि सभी प्रपत्र कम्प्युटरीकृत हो एवं उनका निदेशालय को ई-मेल के माध्यम से (Excel Sheet में) ससमय प्रेषण की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।

5. बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति गठित है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में अद्यतन स्थिति उपस्थापित कर ससमय कार्य संपादन एवं अनुसूचियों का प्रेषण सुनिश्चित करायेगें।

6. उल्लेखनीय है कि प्रभेदयुक्त फसलों के किसी विशेष प्रभेद में फसल लभ्य नहीं हो तो वैसी स्थिति में अन्य उपलब्ध प्रभेदों में फसल कटनी प्रयोगों का सम्पादन निश्चित रूप से कराया जाय।

7. पंचायत एवं जिला स्तरीय सभी फसलों के फसल कटनी प्रयोग के विश्वसनीय एवं ससमय आंकड़ों की प्राप्ति के लिए सभी प्रयोगकर्त्ताओं के द्वारा स्मार्ट फोन के माध्यम से CCE App का अनुप्रयोग कर आंकड़ों का ससमय अपलोड किया जाना आवश्यक है।

8. ध्यातव्य है कि उपज दर एवं उत्पादन के आंकड़ों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार शत्-प्रतिशत निरीक्षण सम्पादित किया जाना अत्यावश्यक है। साथ ही जिला स्तर पर संकलित निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अर्न्तविष्ट निदेशों का शत्-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके निमित्त जिला पदाधिकारी का ध्यान समय-समय पर आकृष्ट किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि शत्-प्रतिशत फसल कटनी प्रयोगों का सम्पादन, निरीक्षण एवं अनुसूचियों का सामयिक प्रेषण हो सके।

अनुलग्नकः-संलग्न सूची ।

विश्वासभाजन

23/6/23

निदेशक।

ज्ञापांक- 783 /पटना, दिनांक- 23/06/23

प्रतिलिपिः-

1. सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक(सांख्यिकी) को जिला सारांश की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. ईंख आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।
4. सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

23/6/23

निदेशक।

ज्ञापांक- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-

1. उप महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय(क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग), केन्द्रीय प्रशासकीय भवन, ब्लॉक न.-2 एन.एच.-4, फरीदाबाद, हरियाणा।
2. उप महानिदेशक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय(क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग) कर्पूरी भवन, राजीव नगर, पटना-800024 को सभी जिला सारांश एवं अंचल-सह-ग्राम सूची की एक एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
3. अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, रूम न.-4454, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

को सूचनार्थ प्रेषित।

23/6/23

निदेशक।

22.6.23

ज्ञापांक-783 /पटना, दिनांक-23/06/23

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को जिला सारांश की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/6/23

निदेशक

22.6.23

ज्ञापांक-783 /पटना, दिनांक-23/06/23

प्रतिलिपि:-

1. श्री सुदामा प्रसाद, आई०टी० मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के Portal पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/6/23

निदेशक

22.6.23